न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 43/2023

GCMS Case No. : 2023/276

अपीलाण्ट –	बनाम	रेस्पोडेण्ट –
गोपाराम पुत्र विशनाराम जाति रेगर निवासी सिरीयारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. वोरसिंह पुत्र केसरसिंह रावत 2. मानसिंह पुत्र वनेसिंह रावत 3. सीता पत्नी वोरसिंह रावत 4. मुन्ना देवी पत्नी मानसिंह रावत जातिगण रावत निवासी गुड़ा बरजालिया, सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 5. भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

"राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमाराम मीणा।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23/04/2026

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 अनवान गोपाराम बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसे ग्राम गुड़ा बरजालिया में खसरा संख्या 1990/1 रकबा 1.4796 हैक्टेयर कृषि भूमि आवंटित हुई। उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट, जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत आवेदन पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि मौके पर अग्रेंजी बबूल खड़े है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी का कब्जा नहीं है जबकि मौके पर अपीलाण्ट जब भी जाता है तो रेस्पोडेण्ट के द्वारा उसे रोक दिया जाता है। मात्र पटवारी की एक तरफा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। साथ ही पटवारी हल्का ने मौके की जांच नहीं करके अपीलाण्ट को हुये आवंटन को निरस्त करवाने हेतु नियम 14(4) के तहत प्रकरण पेश करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी। उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया गया। मौके पर अपीलाण्ट का खेत मौजूद है, जिस पर रेस्पोडेण्ट द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी के पास में रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज है। वादग्रस्त भूमि मौके पर खाली है, जिस पर न तो अपीलाण्ट द्वारा काश्त की जा रही है और न ही रेस्पोडेण्ट का कोई कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 को पारित किया गया जबकि अपीलाण्ट द्वारा लगभग 7 माह बाद हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई, जो कि म्याद बाहर है। वर्तमान में अपीलाण्ट जैर आराजी में गैर खातेदार दर्ज है और उनके द्वारा उक्त भूमि पर स्वत्व के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने बिना किसी विधिक आधार के जैर अपील पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 अनवान गोपाराम बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। जैर अपील से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण की दृष्टि से देखा जाये तो अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 22.08.2022 को प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.03.2023 के अनुसार विवादित खसरा संख्या 1990/1 पर वर्तमान में केवल अंग्रेजी बबूल एवं कंटीली झांड़ियाँ विद्यमान हैं तथा भूमि पर किसी प्रकार की काश्त किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा भी अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज, जैसे खसरा गिरदावरी अथवा अन्य राजस्व अभिलेख, प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह भूमि पर निरन्तर कब्जा एवं काश्त करता रहा हो। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जैर आराजी पर काश्त के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं।

हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रस्तुत दलीलों के सम्यक् परीक्षण उपरान्त यह प्रतित होता है कि अपीलाण्ट को जैर निगरानी आराजी का आवंटन दिनांक 08.05.1976 को किया गया था किन्तु आवंटन के पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर निरन्तर एवं विधिसम्मत काश्त किया जाना अभिलेखों से सिद्ध नहीं होता है। अपीलाण्ट आज दिनांक तक जैर आराजी पर गैर खातेदार के रूप में दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं की गई। साथ ही अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस एक उज्र यह भी था कि जैर आराजी का अपीलाण्ट के पक्ष में किये गये आवंटन के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रकरण पेश किया गया था, जो कि न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था परन्तु उनके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये और न ही किसी आदेश की प्रति पेश की, जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में उक्त धारा के तहत कोई प्रकरण दर्ज हुआ हो अथवा कोई आदेश पारित किया गया हो, जिससे उक्त कथन अप्रमाणित पाया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी विशेष उपबंध है और इसमें किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के द्वारा धारित भूमि के अतिचारियों की बेदखली की संक्षित प्रक्रिया उपबंधित की गई है। यदि अतिचारी ने अनुसूचति जाति या अनुसूचति जनजाति के किसी अभिधारी के द्वारा धारित भूमि का कब्जा विधिक प्राधिकार के बिना ले लिया या बनाये रखा है, तो वह उसे बेदखल कराने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के आवेदन पर बेदखली के दायित्वाधीन होगा और शास्ति के रूप में, प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए जिसके कि दौरान, जब सम्पूर्ण पर या उसके किसी भी भाग पर वह ऐसे काबिज रहा है, ऐसी कोई राशि जो वार्षिक लगान की पन्द्रह गुनी तक हो सकती है, देने का और दायी होगा। ऐसे किसी आवेदन पर जांच, अतिचारी के रूप में अधिकथित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देते हुये सुक्षिप्त रीति से की जायेगी। अतिचारी को राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 5(44) में परिभाषित किया गया है और उससे कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो भूमि का कब्जा बिना प्राधिकार के ले लेता है या उसे बनाये रखता है या जो किसी अन्य व्यक्ति को, उसे सम्यक् रूप से पट्टे पर दी गई भूमि का अधिभोग करने से निवारित करता है। राजस्थान अभिधृति अधिनियम की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

धारा 42 के अधीन किसी खातेदार अभिधारी के द्वारा अपनी जोत के सम्पूर्ण हित या उसके किसी भाग का विक्रय, दान या वसीयत तब शून्य होगी, यदि ऐसा विक्रय, दान या वसीयत किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। यह तयशुदा विधि है कि राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण आरम्भ से ही शून्य है। कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे अन्तरण के अधीन कब्जा लेता है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, अन्तरण की तारीख से ही अतिचारी है, इसलिये ऐसे मामलों में उसकी धारा 183 ख लागू होगी। इसके विपरीत प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलाण्ट, जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, की भूमि पर रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई अवैध कब्जा किया गया हो अथवा उसे उसकी भूमि पर काश्त करने से रोका गया हो। साथ ही अभिलेखों पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों, यथा मौका फर्द दिनांक 28.12.2021, 07.06.2023 एवं 17.06.2006 तथा अपीलार्थी के पुत्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवाद का मूल स्वरूप सीमाज्ञान से सम्बन्धित हैं, न कि वास्तविक कब्जा या बेदखली से। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने का प्रयास वस्तुतः सीमाज्ञान के विवाद को अन्य रूप में प्रस्तुत कर विधि का अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास प्रतीत होता है। सीमाज्ञान के विवाद के निवारण हेतु विधि में पृथक से उपचार उपलब्ध है, जिसके लिए अपीलाण्ट स्वतंत्र है। धारा 183 बी का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अवैध कब्जे एवं अत्याचार से संरक्षण प्रदान करना है, जो कि प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट का दावा तथ्यों एवं विधि के अनुरूप सिद्ध नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है, इस कारण अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 25/2022 अनवान गोपाराम बनाम मोहनसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)